

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 09 फरवरी 2011

विषय-उचित दर विक्रेताओं के लाभान्श एवं परिवहन विपत्रों के प्रारूप के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-145/11-XIX-1/01/खाद्य/2011 दिनांक 05 फरवरी 2011 जो कि उचित दर विक्रेताओं के लाभान्श एवं परिवहन विपत्रों के भुगतान के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत उठान किये गये खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का परिवहन/भाड़ा क्लेम विपत्र का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किये जाने का मुझे निदेश हुआ है।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उपसचिव।

संख्या- 171 (1)/10-XIX-89/खाद्य-1/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 3- सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग देहरादून/कुमायूँ सम्भाग हल्द्वानी।
- 4- वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उपसचिव।

ए०पी०एल० एवम् बी०पी०एल० योजना के अन्तर्गत उठान किये गये खाद्यान्न
(गेहूँ/चावल) का परिवहन/भाड़ा क्लेम विपत्र

1. क्लेम किये जाने वाले माह का नाम :-
2. उचित दर विक्रेता का नाम एवम् पता :-
3. राजकीय अन्न भण्डार का नाम जहाँ से
खाद्यान्न का उठान किया गया है :-
4. जनपद/तहसील/ब्लॉक का नाम :-
5. गत माह का अवशेष परिवहन/भाड़ा
यदि कोई हो तो उसका विवरण :-
6. विपत्र प्रस्तुत करने का दिनांक :-

योजनावार उठान की गयी मात्रा (कुन्टल में)					राजकीय गोदाम से उचित दर बुकान तक दूरी (कि०मी० में)			जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दुलान भाड़ा एवम् पल्लेदारी (प्रति कुन्टल)					कुल देय धनराशि
ए०पी०एल०		बी०पी०एल०		योग	मोटर मार्ग	खच्चर मार्ग	पैदल मार्ग	मोटर भाड़ा	खच्चर भाड़ा	पैदल भाड़ा	पल्लेदारी (लदायी/ उतरायी)	योग	कुल देय धनराशि
गेहूँ	चावल	गेहूँ	चावल										
1	2	3	4	5 (कॉलम 1 से 4)	6	7	8	9	10	11	12	13 (कॉलम 9 से 12)	14 (कॉलम 5 गुणा कॉलम 13)

प्रमाणित किया जाता है कि :-

1. यह बिल प्रथम बार भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।
2. बिल में अंकित दूरी एवम् दर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप है

हस्ताक्षर,
उचित दर विक्रेता।

सत्यापनकर्ता,
केन्द्र प्रभारी/गोदाम प्रभारी,
मोहर।

2